



चार पहिया वाहन मासिक किराये पर देने हेतु अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची के जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची एवं जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची हेतु एक-एक व्यवसायिक पंजीकृत MAHINDRA SCORPIO एवं BOLERO NEO चार पहिया वाहन (अगस्त 2025 के पूर्व का रजिस्ट्रेशन न हो) एक वर्ष के लिए (ड्राइवर रहित) मासिक किराये पर आवश्यकता है।

अतः उक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आप सभी इच्छुक वाहन मालिकों/कम्पनी/फर्म से अनुरोध है कि निविदा प्रपत्र दिनांक 19.09.2026 से 26.09.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं भरा हुआ निविदा प्रपत्र दिनांक 28.09.2026 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक जमा लिया जायेगा तथा निविदा उक्त तिथि को ही क्रय समिति के समक्ष अपराह्न 03:00 बजे खोली जायेगी, निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची के कार्यालय सूचनापट्ट या www.dseranchi.com के पोर्टल पर देखा जा सकता है।


16/09/26


जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची।

ज्ञापांक 1396 राँची, दिनांक:- 16/09/2026

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि स्थानीय संस्करण के दैनिक समाचार पत्रों में उक्त सूचना प्रकाशित किया जाए।


16/09/26


जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची।



"वाहन मासिक किराये पर देने हेतु अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण प्रपत्र"

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची कार्यालय के लिए व्यावसायिक पंजीकृत एक स्कॉर्पियो (Scorpio) एवं एक बोलेरो निओ (Bolero Neo) वाहन मासिक किराये पर उपयोग हेतु अति अल्पकालीन निविदा प्रकाशित की जा रही है। वैसे वाहन मालिक जो निम्न शर्तों के अधीन वाहन मासिक किराये पर देने हेतु इच्छुक हो वे अपना निविदा द्विलिफाफा पद्धति के तहत निविदा डाल सकते हैं :-

निविदा की शर्तें :-

1. निविदादाताओं को निविदा द्विलिफाफा पद्धति के तहत दो अलग-अलग लिफाफों में तकनीकी बिड (Envelope "A") एवं वित्तीय बिड (Envelope "B") अंकित हो एवं पुनः एक बड़े लिफाफा में सील हो, निविदा जमा करना होगा। उपरोक्त लिफाफा के ऊपर निविदादाता का स्पष्ट विवरणी जिसमें निविदादाता का नाम, पता एवं पैकेज- एक स्कॉर्पियो एवं एक बोलेरो निओ वाहन मासिक किराये पर देने हेतु साफ-साफ बड़े-बड़े शब्दों में लिखा रहना आवश्यक है। निविदा हेतु तकनीकी शर्तों को पूर्ण करनेवाले निविदादाताओं का ही वित्तीय बिड खोला जायेगा।
2. निविदा प्रपत्र दिनांक 18.09.2026 से 26.09.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं भरा हुआ निविदा प्रपत्र दिनांक 28.09.2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जमा लिया जायेगा तथा निविदा उक्त तिथि को ही क्रय समिति के समक्ष अपराह्न 03.00 बजे खोली जायेगी जिसमें निविदादाता को स्वयं या उनका कोई लिखित प्राधिकृत व्यक्ति को उपस्थित रहना अनिवार्य है।
3. मासिक किराये पर देने हेतु वाहन का पंजीकरण अगस्त 2025 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
4. निविदादाताओं को BLACKLISTED नहीं होना चाहिए।
5. सफल निविदादाता एवं अधोहस्ताक्षरी के बीच एक एकरारनामा हस्ताक्षर किया जायेगा जो एकरारनामा हस्ताक्षर के तिथि से अगले एक वर्ष तक के लिये मान्य होगा। सेवा संतोषप्रद रहने पर कार्य अवधि बढ़ाई जा सकती है तथा सेवा असंतोषप्रद की स्थिति में एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा।
6. निविदा दर ड्राइवर रहित वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा यानि वाहन का संचालन विभागीय ड्राइवर द्वारा किया जाएगा। साथ ही टोल टैक्स गाड़ी रख-रखाव पर होने वाले व्यय/ इंश्योरेंस/ आकस्मिक दुर्घटना पर होने वाले व्यय एवं सभी कर सहित वित्तीय निविदा में अंकित किया जाना है।
7. वाहन का बिल मासिक उपलब्ध कराना होगा।
8. कार्यालय के ड्राइवर द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का लॉग बुक का संधारण किया जाएगा।
9. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में रुपये 10,000/- (दस हजार) मात्र (प्रतिवाहन) का डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चेक जो किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से Jharkhand Education Project , Ranchi के नाम से जारी हो एवं Ranchi में भुगतये हो सलग्न करना आवश्यक होगा।
10. अग्रधन के रूप में जमा राशि निविदा के अंतिमीकरण के पश्चात असफल निविदादाताओं को वापस कर दी जायेगी।
11. वाहन राज्य सरकार के अधीन परिवहन विभाग से निबंधित होना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ अद्यतन इंश्योरेंस पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र आदि धारक होना अनिवार्य होगा।
12. वाहन का व्यावसायिक पंजीकृत (Commercial Registration) होना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में व्यावसायिक पंजीकरण एकरारनामा के एक महीने के अन्दर कराना सुनिश्चित करेंगे।

4

सब पढ़ें सब बढ़ें



13. वाहन खराब होने या अन्य कारणों से उपलब्धता नहीं होने पर निविदादाता द्वारा उसी प्रकार का दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
14. निविदा में स्वीकृत दर पर लागू स्रोत पर कर की कटौती करते हुए विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
15. निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार अधोहस्ताक्षरी/क्रय समिति को सुरक्षित है। किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. अधोहस्ताक्षरी एवं निविदादाता के बीच यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो इसका निराकरण राँची न्यायालय में किया जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात :-

- (1) अग्रधन का डिमांड ड्राफ्ट (रूपये 10000.00 प्रति वाहन) मूल प्रति।
- (2) वाहन मालिक का नाम, पता एवं पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- (3) संबंधित फर्म के नाम के बैंक पासबुक की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- (4) वाहन मालिक का विगत दो वर्ष का आयकर रिटर्न विवरणी की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- (5) GST रजिस्ट्रेशन की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- (6) निविदादाताओं को BLACKLISTED नहीं होने संबंधी शपथपत्र।

(ख) वित्तीय निविदा वाले लिफाफा :-

इस लिफाफा मे अपने फर्म के लेटर हेड पर निम्न प्रपत्र मे वाहन का मासिक किराया सभी व्यय, एवं कर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए :-

SN	Type of Vehicle	Model	Current Total Running KM as per Odometer	Mileage in km per litter	मासिक किराया सभी व्यय, एवं कर सहित
1.	Mahindra Scorpio				
2.	Bollero Neo				

16.9.24

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना
राँची